न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 26/2014/ जिला–नागौर (2014/00023)

1. सत्यनारायण पुत्र स्व बालाराम जाति दाधीच (मृतक) जरिये वारिसानः–
   1/1 गायत्री देवी बेवा सत्यनारायण
   1/2 जितेन्द्र पुत्र सत्यनारायण
   1/3 राजेन्द्र पुत्र सत्यनारायण
   1/4 अंजना पुत्री सत्यनारायण
   1/5 साधना पुत्री सत्यनारायण
   समस्त जाति दाधीच ब्राहम्ण सूठंवाल निवासी मारवाड़ मूण्डवा तहसील व जिला नागौर हाल खेजड़ों की गली।

–––अपीलांट्स

बनाम

1. जंवरीलाल पुत्र स्व0 बालाराम जाति दाधीच ब्राहम्ण निवसी मारवाड़ मूण्डवा तहसील व जिला नागौर।
2. पतासी देवी सरपंच ग्राम पंचायत रूण पंचायत समिति मूण्डवा।

––––रेस्पोन्डेन्ट्स

———

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, नागौर दिनांक 18–02–2014
अपील संख्या 04/2009 बउनवान श्री जवरीलाल बनाम
पतासी देवी, सरपंच ग्राम पंचायत रूण

————

उपस्थित– 1. श्री राघवेन्द्र सिंह राणावत अभिभाषक, अपीलांट्स
2. श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1

निर्णय

दिनांकः– 31.1.2018

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रूण स्थित विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 2572 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 2573 रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 2613 रकबा 10 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 2614 रकबा 9 बीघा 03 बिस्वा कुल रकबा 34 बीघा 11 बिस्वा बाबत एक अपील रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 जवरीलाल द्वारा अपीलांट को पक्षकार बनाए बिना एवं तथ्यों को छिपाकर उपखण्ड अधिकारी, नागौर के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि

विवादग्रस्त आराजियात मुन्नी देवी पत्नी बालाराम की खरीदशुदा आराजियात होकर उनकी स्वअर्जित सम्पत्ति है जिसकी मुन्नी देवी द्वारा एक वसीयत जंवरीलाल के पक्ष में दिनांक 19–8–2008 को निष्पादित की गई। मुन्नी देवी के फौत होने पर ग्राम पंचायत के समक्ष वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसे सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा अपीलांट सत्यनारायण द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 5–1–2009 द्वारा निरस्त कर दिया। उक्त आदेश की जानकारी होने के बावजूद अपीलांट को पक्षकार बनाए बिना एवं बिना सुनवाई कर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत अपील को अपने आदेश दिनांक 18–2–2014 द्वारा स्वीकार कर सरपंच ग्राम पंचायत रूण द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–1–2009 को निरस्त कर दिया। उक्त आदेश से असन्तुष्ट होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील के साथ प्रस्तुत एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा0दी0 पर भी उभय पक्ष को सुना गया । अभिभाषक अपीलान्ट ने इस सम्बन्ध में यह तर्क दिया कि विवादग्रत भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित भूमि है जिस पर प्रार्थी जन्म से सहदायक होकर सहखातेदार काश्तकार है तथा उपखण्ड अधिकारी नागौर के समक्ष प्रस्तुत अपील में प्रार्थी को पक्षकार नहीं बनाया है एव ंना ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है इस कारण प्रार्थी उपखण्ड अधिकारी, नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–2–2014 से पूर्णतया व्यथित एवं पीड़ित पक्षकार है जिसे सुना जाना आवश्यक है। उपखण्ड अधिकारी नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–2–2014 से प्रार्थी के विवादित भूमि बाबत अधिकार सदैव के लिए समाप्त हो जायेंगे। इस कारण आदेश दिनांक 18–2–2014 को निरस्त किये जाने तथा प्रार्थी को अपील प्रस्तुत करने का पूर्ण अधिकार है। उपरोक्त तर्को से प्रार्थी द्वारा अपीलाधीन आदेश से प्रभावित होने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अभिभाषक अपीलान्ट की बहस का जवाब देते हुए रेस्पोडेन्ट अभिभाषक ने तर्क दिया कि प्रार्थी संयुक्त हिन्दू परिवार का सदस्य होकर सहदायक की हैसियत से भूमि पर काबिज काश्त है यह बिल्कुल गलत है। जब संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति ही नहीं है, तो संयुक्त हिन्दू परिवार का सदस्य होने का प्रश्न ही उत्पन्न ही नहीं होता। सम्पत्ति की एक मात्र मालिक श्रीमति मुन्नी देवी थी जो बालाराम की पत्नी थी बालाराम का देहान्त अक्टूबर 1963 में हो गया । सम्पत्ति श्रीमति मुन्नी देवी ने अपने स्वयं के स्त्री धन से दिनांक 28–2–1977 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदी और उसकी वसीयत दिनांक 19–8–2008 को जवरीलाल के पक्ष में कर दी। उक्त सम्पत्ति पर कब्जा भी जवरीलाल का ही है। जब यह सम्पत्ति संयुक्त हिन्दू परिवार की है ही नही ंतो कथित संयुक्त हिन्दू परिवार से सम्पत्ति में किसी का कोई लेना देना नही ंतो प्रार्थी द्वारा लिखे गये तथ्य बिल्कुल गलत है। सम्पत्ति में किसी भी प्रकार कर हक अधिकार अपीलार्थी को नहीं है। अपीलार्थी ग्राम मारवाड मूण्डवा में रहता है। केवल मात्र पारिवारिक द्वेषता के कारण रेस्पोन्डेन्ट को हैरान परेशान करने की नियत से असत्य तथ्यों का सहारा लेकर अपील प्रस्तुत की है। उक्त सम्पत्ति जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक

28–2–1977 के द्वारा श्रीमति मुन्नी देवी नें खरीदी जो कि उसकी एक मात्र मालिक थी वसीयत दिनांक 19–8–2008 ऐ एक मात्र मालिकाना हक रेस्पोन्डेन्ट को प्राप्त हो गया एवं जो माननीय सिविल न्यायालय (क0ख0) नागौर की अदालत में वाद दायर करने का हवाला दिया है तो उसमें कोई भी स्थगन आदेश, अंतरिम आदेश पारित किया हुआ नहीं है। यदि अपीलार्थी अपने आपको तनिक मात्र भी हक अधिकार समझता और चाहता तो माननीय न्यायालय में स्थगन आदेश, अंतरिम आदेश हेतु प्रयास करता। अपीलार्थी का कथन कि धारा–10 सीपीसी के तहत कार्यवाही स्थगित होने योग्य है यह बिल्कुल गलत है जो प्रकरण है वह बिल्कुल अलग–अलग है अनुतोष अलग–अलग है। श्रीमति मुन्नी देवी द्वारा दिनांक 19–8–2008 को जो वसीयत निष्पादित की गई है वह रजिस्टर्ड है और दूर–दूर तक इसमें अपीलार्थी का हक अधिकार निहित नहीं है। अपीलार्थी द्वारा जो अपील प्रस्तुत की गई है वह सव्यय खारिज योग्य है। अपीलार्थी पीड़ित पक्षकार नहीं है क्योंकि अपीलार्थी को किसी प्रकार का हक अधिकार नहीं है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–2–2014 की जानकारी अपीलार्थी को पूर्व से ही थी। यदि अपीलार्थी तनिक मात्र भी अपने आपको पीड़ित पक्षकार मानता तो तुरन्त ही उपखण्ड अधिकारी नागौर के समक्ष निवेदन कर सकता था। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 96 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

उभय पक्षों की धारा–96 जा0दी0 पर सुनी बहस एवं उपलब्ध अभिलेख के मनन पश्चात अपीलान्ट का धारा–96 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नागौर ने रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत अपील का निस्तारण अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना तथा सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिये बिना पारित किया है जबकि उनके समक्ष यह स्पष्ट हो चुका था कि विवादग्रस्त आराजियात अपीलांट के पिता बालाराम द्वारा पत्नी मुन्नी देवी के नाम से खरीदशुदा होकर संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित सम्पत्ति है जिसमें अपीलांट का जन्म से हिस्सा निहित है तथा सरपंच ग्राम पंचायत रूण द्वारा अपीलांट सत्यनारायण द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करने के पश्चात अपने आदेश दिनांक 5–1–2009 द्वारा पूर्ण विवेचन पश्चात नामान्तरकरण निरस्त कर दिया। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुने व पक्षकार बनाये विधिविरूद्ध आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपना विवेचन मुन्नी देवी द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित वसीयत पर किसी भी न्यायालय में

चुनौती नहीं देना अंकित कर उस पर आधारित किया है जबकि उक्त वसीयत बाबत एक सिविल वाद विचाराधीन है जो वर्तमान पक्षकारान के बयान एवं साक्ष्य हेतु नियत है। अधिनस्थ न्यायलय ने रेस्पोन्डेन्ट के असत्य कथनों पर विश्वास कर अपील का निस्तारण किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु को भी नजरअन्दाज किया कि विवादग्रस्त आराजियात अपीलांट के पिता द्वारा पत्नी मुन्नी देवी के नाम से खरीदी गई थी जो संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित सम्पत्ति है जिसमें अपीलांट का जन्म से हिस्सा निहित है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त महत्वपूर्ण बिन्दु को नजरअन्दाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर भी ध्यान नहीं दिया कि नामान्तरकरण की कार्यवाही एक फिस्कल प्रोसिडिंग है जिससे किसी के हक अधिकार तय नहीं होते है तथा जिस वसीयत के आधार पर रेस्पोन्डेन्ट जंवरीलाल नामान्तरकरण पारित करवाना चाह रहा है उसे शून्य एवं निरस्त करवाने बाबत सिविल वाद विचाराधीन है जिसके निस्तारण हुए बिना राजस्व रेकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन करना विवाद को अंतहीन करना होगा। अतः धारा 10 सी.पी.सी. के अनुरूप जब तक सिविल वाद का निस्तारण नहीं हो तब तक राजस्व रेकार्ड को सुरक्षित रखा जाना आवश्यक है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नागौर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18–2–2014 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.डी. 1995 पेज 64 एवं आर.आर.टी. 2017 पेज 117 प्रस्तुत कर कथन किया कि मियाद बाहर सरकार तक की अपील खारिज की गई है। अस्पष्ट कारण से मियाद बाहर अपील करना स्पष्ट रूप से न्यायालय को गुमराह करना है। रेस्पोन्डेन्ट स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुई है, से संबंधित नजीरे प्रस्तुत कर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया।

अपीलांट अभिभाषक द्वारा आर.आर.टी. 2003 पेज 650 में उल्लेखित है कि कि गोद का प्रश्न नमाान्तरकरण की कार्यवाही में तय नहीं किया जा सकता है। सक्षम न्यायालय में वाद संस्थित करना होगा रिट याचिका खारिज की गई। आर. आर.डी. 2006 पेज 190 में उल्लेखित है कि काफी विलम्ब के बाद नामान्तरकरण की कार्यवाही व्यर्थ है जिसका वाद ही विकल्प है एवं आर.आर.टी0 2010 पेज 1222 में कथन किया गया है कि नामान्तरकरण की कार्यवाही में गंभीर प्रश्न तय नहीं किये जा सकते है वाद ही उपचार है। असाधारण विलम्ब को सद्भावी नहीं माना जा सकता है आदि उक्त नजीरे प्रस्तुत कर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया गया।

अपीलांट अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट्स के विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया कि अपीलांट का यह कथन बिल्कुल गलत है कि अपीलांट संयुक्त हिन्दू परिवार का सदस्य होकर सहदायक की हैसियत से भूमि पर काबिज काश्त हो। जब संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति ही नहीं है तो संयुक्त हिन्दू परिवार का सदस्य होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। विवादग्रस्त आराजियात की एक मात्र मालिक श्रीमती मुन्नी देवी थी। बालाराम जी का देहान्त अक्टूबर 1963 में हो गया था। उक्त सम्पत्ति श्रीमति मुन्नी देवी ने अपने स्वयं के स्त्री धन से दिनांक 28–2–1977 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की और उसकी वसीयत दिनांक 19–8–2008 को रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 जंवरीलाल के पक्ष में की है और विवादग्रस्त आराजियात पर जंवरीलाल का ही कब्जा काश्त है। अपीलांट को विवादग्रस्त आराजात में किसी प्रकार का हक एवं अधिकार नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश की जानकारी अपीलांट को शुरू से ही थी। यदि अपीलांट का विवादग्रस्त आराजियात पर हक अधिकार होता तो वह अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार बनने का निवेदन कर सकता था। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण वर्ष 2009 से विचाराधीन था जिसका निर्णय दिनांक 18–2–2014 को हुआ उक्त निर्णय की जानकारी अपीलांट को प्रारम्भ से ही थी। अपीलांट ग्राम मारवाड मूण्डवा में रहता है केवल पारिवारिक द्वेषता के कारण रेस्पोन्डेन्ट को हैरान परेशान करने की नियत से असत्य कथनों का सहारा लेकर अपील की है। विवादग्रस्त आराजियात जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28–2–1977 को श्रीमति मुन्नी देवी ने स्वयं खरीदी है जिसकी एक मात्र मालिक श्रीमति मुन्नी देवी थी और दिनांक 19–8–2008 को जरिये रजिस्टर्ड वसीयत सम्पत्ति रेस्पोन्डेन्ट श्री जांवरीलाल के नाम की, जिसका एक मात्र मालिक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 जंवरीलाल ही है इसके अलावा अन्य किसी को कोई हक अधिकार नहीं है। अपीलांट का कथन कि माननीय सिविल न्यायाधीश (क0ख0) नागौर की अदालत में वाद दायर करने का हवाला दिया है तो उसमें कोई भी स्थगन आदेश, अंतरिम आदेश पारित किया हुआ नहीं है। यदि विवादग्रस्त आराजियात पर अपीलांट का हक अधिकार होता तो वह सिविल न्यायालय से स्थगन एवं अन्तरिम आदेश प्राप्त करता। विवादग्रस्त आराजियात पर अपीलांट का कोई हक एवं अधिकार निहित नहीं है। अतः उपरोक्त कथनों के आधार पर अपीलांट की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जावे एवं अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नागौर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18–2–2014 विधिसम्मत होने से यथावत रखे जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम रूण स्थित विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 2572 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 2573 रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 2613 रकबा 10 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 2614 रकबा 9 बीघा 03 बिस्वा कुल रकबा 34 बीघा 11 बिस्वा बाबत एक अपील रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 जवरीलाल द्वारा अपीलांट को पक्षकार बनाए बिना एवं तथ्यों को छिपाकर उपखण्ड

अधिकारी, नागौर के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादग्रस्त आराजियात मुन्नी देवी पत्नी बालाराम की खरीदशुदा आराजियात होकर उनकी स्वअर्जित सम्पत्ति है जिसकी मुन्नी देवी द्वारा एक वसीयत जंवरीलाल के पक्ष में दिनांक 19–8–2008 को निष्पादित की गई। मुन्नी देवी के फौत होने पर सरपंच ग्राम पंचायत के समक्ष वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसे सरपंच ग्राम पंचायत ने अपीलांट सत्यनारायण द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 5–1–2009 द्वारा निरस्त कर दिया। यहां यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि विवादग्रस्त आराजियात श्रीमति मुन्नी द्वारा क्रय की गई थी जो कि बालाराम की पत्नी थी। श्रीमति मुन्नी देवी पत्नी बालाराम के रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 सहित तीन पुत्र एवं एक पुत्री है। माता पिता की स्वअर्जित सम्पत्ति में उसके जायन्दा पुत्र एवं पुत्रियों का बराबर का हक एवं अधिकार निहित होता है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत माता एवं पिता की मृत्यु के पश्चात चल व अचल सम्पत्ति उनके जायन्दा पुत्र एवं पुत्रियों के हिस्से में बराबर आयेगी। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नागौर द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत रूण द्वारा नामान्तरकरण की पुस्त पर अंकित किया है कि मुन्नी देवी पत्नी बालाराम फौत होने पर उसके रजिस्टर्ड वसीयत जंवरीलाल पुत्र बालाराम के नाम दर्ज है परन्तु सत्यनारायण पुत्र बालाराम ने प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत को पेश किया जिसमें उसने बताया कि मुन्नी देवी के तीन पुत्र क्रमशः रामकुंवार, जंवरीलाल, सत्यनारायण एवं एक पुत्री लता है सत्यनारायण ने लिखित में बताया कि मेरे भाई जंवरीलाल ने झूठा अंगूठा निशानी लगाकर वसीयत अपने नाम करवाई है। अतः ग्राम पंचायत इस संबंध में जांच की तो पाया कि वास्तव में मुन्नी देवी स्वयं हस्ताक्षर करती थी। अतः ग्राम पंचायत ने सर्व सम्मति से निर्णय लेकर नामान्तरकरण संख्या 3683 दिनांक 5–1–2009 को खारिज किया था। उक्त तथ्य की जानकारी अधिनस्थ न्यायालय को होने पर अधिनस्थ न्यायालय को मुन्नी देवी के विधिक वारिसानों को पक्षकार बनाकर उन्हें विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान कर निर्णय पारित करना चाहिए था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा केवल रजिस्टर्ड वसीयत को आधार मानकर नामान्तरकरण स्वीकृति के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत नहीं है। नामान्तरकरण एक फिस्कल प्रोसिडिंग्स है जिसमें किसी के हक एवं अधिकारों का निर्धारण नहीं होता है। नामान्तरकरण विवादित भूमि में कोई हित या स्वामित्व उत्पन्न नहीं करता है। नामान्तरकरण की संक्षिप्त कार्यवाही में वसीयत, गोद, उत्तराधिकार के जटिल विवाधक का विनिश्चय करना संभव नहीं होता है। अपीलांट द्वारा विवादग्रस्त आराजियात बाबत एक सिविल वाद न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क0ख0) नागौर के समक्ष कर रखा है जो विचाराधीन है। अधिनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी, नागौर) ने उक्त महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दुओं को नजर अन्दाज कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 18–2–2014 पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आलोक में अपीलांट्स की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी, नागौर) द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनाक 18–2–2014 अन्तर्गत

अपील संख्या 04/2009 बउनवान जंवरीलाल बनाम पतासी देवी सरपंच ग्राम पंचायत रूण विधिविरूद्ध होने से निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार, मूण्डवा को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे विवादग्रस्त आराजियात के विधिक वारिसानों की विधिवत जांच कर पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क0ख0) नागौर के समक्ष विचाराधीन सिविल वाद के निर्णय अनुसार नये सिरे से नामान्तरकरण संबंधी कार्यवाही करे।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर